


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर

<p>तारीख हुकम</p>	<p>उपखण्ड:- रामेश्वर वर्ग, वनाक मांगी वर्ग, हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं.: - 49/25 (2025/160)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>19-01-26</p>	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकूलाक पक्षकाराण उपा हमने बेहस पर उभयपक्ष अधिवक्तराण को सुना गण्य बहस पर मनक किम गण्य। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का कली भांति अवलोकक किम। गण्य जिससे एन 34 नजीके पर पहुंचे है कि उत्तर से संबंधित वाये में भूखि का कडि भी इस एण्ड बाइण्ड विभाजण नहीं हुआ। अतः सहजोत्तरान का उत्तरक ईच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। ऐसी सुरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं काश्नी पेचीदगीयं पैदा नहीं हो। इसको ध्याण में ध्यान में रखते हुए शर्धीण पत्र अंतर्गत धारि 212 RIA स्वीकार किम जाता है तथा न्यायालय हाजा कस जारी शुदा स्थगण आदेश दिनांक 06.05.2025 को ताऊसला भूखवाद पुष्ट किम जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर नंबर से कस हो, तथा संलग्न भूखवाद हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर) राज० </p>	